न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 149/2020

आसीन पुत्र किरोडी जाति मेव निवासी ग्राम धीमरी तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

1. वाजिब
2. साजिद
3. मौसम पिसरान उसमान जाति मेव निवासीयान कामाँ तहसील कामाँ

अप्रार्थीगण

4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार तहसील पहाडी

फौरमल प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री प्रमोद शर्मा वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :– 29.01.2021

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2357/0.80, 2355/0.80 है0 बांके ग्राम धीमरी तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थी की पत्नि ऐमना की खातेदारी की आराजी है। जिसकी प्रार्थी की पत्नि ऐमना आराजी खसरा नम्बर 2355/0.80 के 1/2 हिस्से, आराजी खसरा नम्बर 2357/0.80 के 3/20 हिस्से की खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। जिसे प्रार्थी व उसकी पत्नि ऐमना काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है और अब प्रार्थी की पत्नि ऐमना का देहान्त हो गया है तथा ऐमना की मृत्यु उपरान्त से आज तक प्रार्थी उक्त आराजी को निरन्तर रूप से काश्त करता चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त है। अप्रार्थीगण का आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ।फिर भी अप्रार्थीगण वादी के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करते है । अप्रार्थीगण प्रार्थी की मृतक पत्नि के नाम चले आ रहे

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

इन्द्राज के स्थान पर राजस्व दर्ज परिजनों से साज कर अपने नाम दाखिल खारिज करा कर दीगर व्यक्तियों को रहनवय मुन्तकिल करना चाहते है। जिसकी बाबत गैरसायलान ने दिनांक 28.07.2019 को बांके ग्राम धीमरी में स्पष्ट शब्दो में धमकी दी है। यदि अप्रार्थीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी। प्रार्थी की पत्नि ऐमना का निकाह पूर्व में अप्रार्थीगण के पिता उसमान पुत्र मम्मल के साथ हुआ था। जिनके नुत्फे से अप्रार्थीगण पैदा हुये तथा बाद में अप्रार्थीगण के पिता का देहान्त हो गया और देहान्त के कुछ दिन बाद उसमान के परिजनों ने ऐमना को घर से भगा दिया और अप्रार्थीगण को अपने पास रख लिया तथा ऐमना से सभी प्रकार के हित व अधिकारो को तर्क कर लिया। जिसमें अप्रार्थीगण की भी सहमति ली तो अप्रार्थीगण व परिजनो ने साफ इन्कार कर दिया उस्मान के परिजनों से ऐमना को अप्रार्थीगण के साथ रखने हेतु काफी मिन्नते की लेकिन अप्रार्थीगण व परिजनो ने साफ इन्कार कर दिया। बाद में ऐमना के पीहर पक्ष ने ऐमना का निकाह प्रार्थी के साथ कर दिया तथा प्रार्थी ने ऐमना के भविष्य की सुरक्षा के साथ विवादित आराजी का बयनामा ऐमना के पक्ष में करा दिया व प्रार्थी की पत्नि ऐमना का भी देहान्त हो चुका है और ऐमना एक मात्र प्रार्थी की वारिस है और बतौर वारिस प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में चल रहे पत्नि ऐमना के स्थान पर अपने नाम दाखिल कराने का कानूनी रूप से हकदार है। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे कब्जे काश्त प्रार्थी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल नहीं करे एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये एवं उनके द्वारा दिनांक 04.12.2020 को जबाब इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण की माता ऐमना की शादी उस्मान निवासी कामां के साथ हुई थी जिसके नुत्फे से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पैदा हुये थे उसके बाद ऐमना का पति उस्मान की मृत्यु हो गई । ततपश्चात कुछ दिन बाद ऐमना ने अपने पीहर व ससुराल पक्ष की सहमति से दूसरी शादी आसीन पुत्र किरोडी प्रार्थी के साथ कर ली और उसके कुछ दिनों बाद अपनी कामां स्थित कुछ सम्पत्ति को बेचकर ऐमना ने ग्राम धीमरी में आराजी जरिये वयनामा क्रय की और उससे अपने व आसीन के परिवार का जीवन यापन करने लगी तथा आसीन व ऐमना के नुत्फे से अप्रार्थी मौसम पैदा हुआ । उक्त विवादित आराजी पर ऐमना अपने जीते जी काबिज रहकर काश्त करती रही और मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 3 , अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ मिलकर

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

काश्त करते चले आ रहे है और आज भी उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा व काश्त है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड ऐमना पत्नि आसीन की है। जो कि प्रार्थी की पत्नि एवं अप्रार्थीगण की माता है। प्रार्थी ने दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ऐमना की मृत्यु के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु किया है। प्रार्थी ऐमना का दूसरा पति है। एवं अप्रार्थी गण ऐमना के प्रथम पति के नुत्फे से उत्पन्न संतान है। प्रार्थी का यह कथन है कि विवादित आराजी ऐमना को प्रार्थी ने ही खरीद कर दी गयी थी। अप्रार्थी गण ऐमना के विधिक वारिसान हैं। परन्तु ऐमना के प्रथम पति के नुत्फे से उत्पन्न संतान है। विवादित आराजी ग्राम धीमरी की है। जो कि प्रार्थी का ग्राम है। जबकि ऐमना का प्रथम विवाह कामां में हुआ था एवं अप्रार्थीगण कामां के निवासी है। ऐमना की आराजी के कौन–कौन हकदार हैं यह मूल दावे में साक्ष्य एवं तनकी के आधार पर ही निर्णित हो पायेगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थी में निहित है।

2.सुविधा सन्तुलन :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ऐमना पत्नि आसीन की है। जो कि प्रार्थी की पत्नि एवं अप्रार्थीगण की माता है। ऐमना की आराजी के कौन–कौन हकदार हैं यह मूल दावे में साक्ष्य एवं तनकी के आधार पर ही निर्णित हो पायेगा। उस से पूर्व अगर अप्रार्थीगण आराजी का राजस्व रिकार्ड में सिर्फ अपने नाम अकंन करा लेते है तो प्रार्थी को असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी में ही निहित है।

3.अपूरणीय क्षति :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थी में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण की तुलना में प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 2357/0.80, 2355/0.80 है0 बांके ग्राम धीमरी तहसील पहाडी पर ताफैसला मुकदमा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).